न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	मु० नं० 18/16 तारीख रुजू 04.3.16	
	उनवान – रामगोपाल बनाम गंगा वगै०	
	दावा – इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा	
	वादी की ओर से Adv हंसराज गुर्जर ने दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 14.3.16 को पेश हो।	561-64 4.3.16
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
14.3.16	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 2 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हो, उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन बदतामील प्राप्त नहीं हुआ बजरिये सम्मन व जवाब दावा दि. 11-4-16 को पेश हो।	
11/4/16	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी कार्यालय में है। गतानुसार दिनांक 9-5-16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
18.7.16	पत्रावली जनरल तारीख पेशी से पेश हुई। वकुलाय उप.। वास्ते तलबी प्रतिवादी नं.1 तथा वास्ते जवाब प्रतिवादी नं. 2 दि. 9.8.16 को पेश हो।
9-8-16	वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने नया वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी वकील उपस्थित। P.O. साहब मीटिंग में भरतपुर पधारे हैं। गतानुसार वास्ते जवाब दिनांक 14.9.16 को पेश हो।
14/9/16	वकुलाय उपस्थित। तलबीव जवाब पेश करने के लिए समय चाहा। आइन्दा दिनांक 17-10-16 को पेश हो।
17/10/16	वकुलाय उपस्थित। गतानुसार दिनांक 17-11-16 को पेश हो।
17.11.16	वकुलाय उप.। गतानुसार वास्ते तलबी व जवाब दिनांक 21.12.16 को पेश हो।
21-12-16	वकुलाय उप.। वादी वकील ने दर. 023R। CPC पेश किया। नकल दिलाई। वास्ते जवाब दर. दिनांक 5.1.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

5-1-17 - अवकाश

5-1-17 वकुलाय उप०/ पेश किसे जवाब द० दिनांक 11-1-17 को पेश हो।

11-1-17 वकुलाय उप०/ वादी वकील के प्रार्थना पत्र 023 R.1 CPC का प्रतिवादी वकील ने जवाब पेश किया/ नकल दिलाई/ वकील उभय पक्ष ने बहस करने का कथन किया/ वादी वकील ने दर० में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि वादीगण की ओर से दावा पेश करते समय गलत ड्राफ्ट हो गया हैं/ प्रतिवादीगण की तलबी में ही यह दावा चल रहा है/ इसलिए द० 023(R.1) CPC स्वीकार करते हुए वादीगण को दूसरा वाद पेश करने की इजाजत दी जाय/ प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे द० स्वीकार की जाये तथा 023 R.1 एवं सपठित 3 के प्रावधानों के विपरीत होने से यह प्रार्थना पत्र 023 R.1 CPC खारिज किया जाये।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया/ बहस के दौरान उभर कर आये तथ्यों के आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 023 R.1 CPC न्यायोचित प्रतीत होता है/ अतः प्रार्थना पत्र 023 R.1 CPC वादी स्वीकार किया जाता है वादी का दावा विड्रा किया जाता है नया दावा पेश करने की इजाजत दी जाती है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर